**विषय :– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।**

––0––

प्रिय साथी

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 के दौरान यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि हमारा राज्य वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है तथापि सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के क्षेत्र में और अधिक सक्रियता पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में सामुदायिक वन अधिकार हेतु मार्च 2017 की स्थिति में प्राप्त दावों की तुलना में वितरित मान्यता पत्रों की स्थिति पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक दावे निरस्त किए गए हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। इस स्थिति में बदलाव लाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निरस्त सामुदायिक प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर निराकृत किए जाने की स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि कोरबा, जशपुर एवं बिलासपुर जैसे कुछ जिलों के द्वारा निरस्त दावों को पुनर्विचार में लेकर दावे स्वीकृत किए गए हैं किन्तु अन्य जिलों के द्वारा या तो दावे पुनर्विचार में लिए ही नहीं गए हैं या निरस्त दावों की तुलना में बहुत कम संख्या में पुनर्विचार में लिए गए हैं साथ ही पुनर्विचार पश्चात स्वीकृत दावों की संख्या भी बहुत कम है (विस्तृत प्रपत्र संलग्न– परिशिष्ट 1)। अतः सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में सामुदायिक वन अधिकार दावों के निरस्तीकरण के कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण का प्रयास करें साथ ही समस्त निरस्त सामुदायिक दावों को पुनर्विचार में लेकर परिणामों से शासन को अवगत करावें।

इसके अतिरिक्त यदि राज्य में सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत वितरित भूमि का क्षेत्रफल (लगभग 5,63,431 हेक्टेयर) पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र (वितरित भूमि लगभग 17,95,163 हे.) की तुलना में बहुत कम है, जबकि महाराष्ट्र में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की संख्या छ.ग. की तुलना में आधे से भी कम है (विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 2 संलग्न है)। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां छ.ग. राज्य में धमतरी (1,46,688 हे.) एवं कांकेर (1,21,734 हे.) जैसे कुछ जिलों में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, जो अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, वहीं

बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों में सामुदायिक दावों के अंतर्गत वितरित भूमि का रकबा बहुत कम है (विस्तृत जानकारी हेत परिशिष्ट 3 संलग्न)। अतः इन जिलों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत भूमि वितरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु वितरित भूमि का रकबा बढ़ाए जाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के उपाबंध 1, प्रारूप 'ख' में–

- धारा 3–1(ख)– निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,
- धारा 3–1(ग)– गौण वन उत्पादों पर अधिकार,
- धारा 3–1(छ)– उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), चराई हेतु, पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच,
- धारा 3–1(ङ)– पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास/बसाहट (habitat and habitation) की सामुदायिक भूधृति (community tenure),
- धारा 3–1(ट)– जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार,
- धारा 3–1(ठ)– अन्य पारंपरिक अधिकार आदि सामुदायिक वन अधिकारों के लिए ; तथा
- धारा 3–1(झ) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार हेतु उपाबंध 1 के प्रारूप 'ग' में आवेदन/दावे प्राप्त किए जाकर पात्रतानुसार मान्यता संबंधी कार्यवाही की जानी है।

अतः सभी जिला कलेक्टर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उपरोक्तानुसार विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक दावे आमंत्रित करावें और पात्रता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्वीकृति/वितरण में गति लाएं ताकि छ.ग. राज्य सामुदायिक वन अधिकारों के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके।

**भवदीय**

**(विवेक ढाँड)**

**प्रति,**

**श्री .....**

**कलेक्टर,**

**जिला–.....(छ.ग.)**

पृ.क./ / / / रायपुर दिनांक

**प्रतिलिपिः–**

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर, छ.ग.।
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास।

**मुख्य सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन

विवेक ढाँड
मुख्य सचिव
Vivek Dhand
Chief Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. : 1901/CS/2017
नया रायपुर, दिनांक : 10.08.2017

विषय : अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

-00-

प्रिय साथी,

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 के दौरान यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि हमारा राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों मे शामिल है तथापि सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के क्षेत्र में और अधिक सक्रियता पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में सामुदायिक वन अधिकार हेतु मार्च 2017 की स्थिति में प्राप्त दावों की तुलना में वितरित मान्यता पत्रों की स्थिति पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक दावे निरस्त किए गए हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। इस स्थिति में बदलाव लाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निरस्त सामुदायिक प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर निराकृत किए जाने की स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि [illegible], जशपुर एवं [illegible] जैसे कुछ जिलों के द्वारा निरस्त दावों को पुनर्विचार में लेकर दावे स्वीकृत किए गए हैं किन्तु अन्य जिलों के द्वारा या तो दावे पुनर्विचार के लिए ही नहीं लिए गए हैं या निरस्त दावों की तुलना में बहुत कम संख्या में पुनर्विचार में लिए गए हैं साथ ही पुनर्विचार पश्चात स्वीकृत दावों की संख्या भी बहुत कम है ([illegible] संलग्न– परिशिष्ट 1)। अतः सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में सामुदायिक वन अधिकार दावों के निरस्तीकरण के कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण का प्रयास करें साथ ही समस्त निरस्त सामुदायिक दावों को पुनर्विचार में लेकर परिणामों से शासन को अवगत कराएं।

[illegible]

कक्ष क्र. S - 4/21, चतुर्थ तल, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492 002
Tel.: 0771-2221207, 2221208 Fax : 0771-2221206 E-mail : vivekdhand.cs@nic.in

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि राज्य में सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत वितरित भूमि का क्षेत्रफल (लगभग 5,63,431 हेक्टेयर) कम है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां छ.ग. राज्य में धमतरी में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल 1.46,688 हे. हैं एवं कांकेर में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल 1,21,734 हे. हैं और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, जो अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, वहीं बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों में सामुदायिक दावों के अंतर्गत वितरित भूमि का रकबा बहुत कम है (विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न –परिशिष्ट 3 )। अतः इन जिलों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत भूमि वितरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु वितरित भूमि का रकबा बढ़ाए जाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के उपाबंध 1, प्रारूप 'ख' CR (Community Rights) में –

- धारा 3–1(ख)– निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,
- धारा 3–1(ग)– गौण वन उत्पादों पर अधिकार,
- धारा 3–1(छ)– उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), चराई हेतु पारंपरित संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच,
- धारा 3–1(ङ)– पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास/बसाहट (habitat and habitation) की सामुदायिक भूमि (community tenure),

- धारा 3—1(ट)— जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार,
- धारा 3—1(ठ)— अन्य पारंपरिक अधिकार आदि सामुदायिक वन अधिकारों के लिए; तथा
- धारा 3—1(झ)— अंतर्गत CFR (Community Forest Resource) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार हेतु उपाबंध 1 के प्रारूप 'ग' में आवेदन/दावें प्राप्त किए जाकर पात्रतानुसार मान्यता संबंधी कार्यवाही की जानी है।

अतः सभी जिला कलेक्टर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उपरोक्तानुसार विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक दावें आमंत्रित करावें और पात्रता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्वीकृति/वितरण मे गति लाएं ताकि छ.ग. राज्य सामुदायिक वन अधिकारों के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके।

सप्रेम,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विवेक ढाँड)

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

612

# परिशिष्ट - 1

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत निरस्त किए गए सामुदायिक दावों के प्रकरणों को पुनर्विचार में लिए जाकर निराकृत किए गए प्रकरणों की जानकारी

| क्र. | जिला | निरस्त सामुदायिक प्रकरणों की कुल संख्या | निरस्त सामुदायिक प्रकरणों में से पुनर्विचार में लिए गए प्रकरणों की संख्या | पुनर्विचार में लिए गए सामुदायिक प्रकरणों में से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या | स्वीकृत सामुदायिक प्रकरणों में से वितरित प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कोरिया | 40 | 40 | 4 | 4 |
| 2 | सरगुजा | 114 | 92 | 3 | 3 |
| 3 | जशपुर | 211 | 211 | 54 | 0 |
| 4 | रायगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | कोरबा | 1654 | 1654 | 315 | 315 |
| 6 | जांजगीर-चांपा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | बिलासपुर | 239 | 239 | 229 | 0 |
| 8 | कबीरधाम | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | राजनांदगांव | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 10 | महासमुंद | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | धमतरी | 85 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | कांकेर | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | बस्तर | 531 | 531 | 0 | 0 |
| 14 | नारायणपुर | 359 | 359 | 0 | 0 |
| 15 | दंतेवाड़ा | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 16 | बीजापुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | सुकमा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | कोण्डागांव | 2219 | 147 | 147 | 0 |
| 19 | गरियाबंद | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 20 | बलौदाबाजार | 274 | 274 | 0 | 0 |
| 21 | बलरामपुर | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | सूरजपुर | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | बालोद | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | मुंगेली | 38 | 38 | 0 | 0 |
|  | योग | 6817 | 3831 | 752 | 322 |

(617)

परिशिष्ट - 2

State wise details of claims received, titles distributed and the extent of forest land for which titles distributed (individual and ımunity), as on 30.04.2017, in major States, is indicated below:

| States | No. of Claims received upto 30.04.2017 | | | No. of Titles Distributed upto 30.04.2017 | | | Extent of Forest land for which titles distributed (in acres) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Individual | Community | Total | Individual | Community | Total | Individual | Community | Total |
| Andhra Pradesh | 1,69,088 | 4,711 | 1,73,799 | 85,678 | 1,415 | 87,093 | 2,02,420.00 | 4,41,061.00 | 6,43,481.00 |
| Assam | 1,48,965 | 6,046 | 1,55,011 | 57,325 | 1,477 | 58,802 | NA | NA | NA |
| Bihar | 8,022 | 0 | 8,022 | 121 | 0 | 121 | NA | 0.00 | NA |
| Chhattisgarh | 8,43,539 | 25,977 | 8,69,516 | 3,73,718 | 12,714 | 3,86,432 | 8,06,331.00 | 13,92,270.45 | 21,98,601.45 |
| Goa | 9,372 | 361 | 9,733 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
| Gujarat | 1,82,869 | 7,187 | 1,90,056 | 80,535 | 3,488 | 84,023 | 1,24,883.46 | 11,46,230.59 | 12,71,114.05 |
| Himachal Pradesh | 591 | 68 | 659 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 4,670.28 | 4,670.28 |
| Jharkhand | 99,224 | 3,286 | 1,02,510 | 54,458 | 1,723 | 56,181 | 98,265.22 | 45,503.71 | 1,43,768.93 |
| Karnataka | 2,98,795 | 5,741 | 3,04,536 | 12,421 | 628 | 13,049 | 16,436.60 | 26,465.31 | 42,901.91 |
| Kerala | 36,140 | 1,395 | 37,535 | 24,599 | NA | 24,599 | 33,018.12 | NA | 33,018.12 |
| Madhya Pradesh | 5,74,902 | 39,816 | 6,14,718 | 2,11,420 | 27,422 | 2,38,842 | 7,93,136.20 | 13,02,163.57 | 20,95,299.76 |
| Maharashtra | 3,52,950 | 11,408 | 3,64,358 | 1,06,898 | 5,748 | 1,12,646 | 5,77,026.20 | 44,35,944.77 | 50,12,970.97 |
| Odisha | 6,12,365 | 13,433 | 6,25,798 | 4,05,897 | 5,891 | 4,11,788 | 6,08,246.76 | 2,86,502.70 | 8,94,749.46 |
| Rajasthan | 70,515 | 688 | 71,203 | 36,183 | 72 | 36,255 | 55,116.12 | 485.84 | 55,601.96 |
| Tamil Nadu | 18,420 | 3,361 | 21,781 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Telangana | 1,83,107 | 3,427 | 1,86,534 | 93,494 | 721 | 94,215 | 3,00,092.00 | 4,54,055.00 | 7,54,147.00 |
| Tripura | 1,98,238 | 277 | 1,98,515 | 1,25,020 | 55 | 1,25,075 | 4,35,726.57 | 91.16 | 4,35,817.74 |
| Uttar Pradesh | 92,520 | 1,124 | 93,644 | 17,712 | 843 | 18,555 | 18,854.46 | 1,20,802.06 | 1,39,656.53 |
| Uttarakhand | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| West Bengal | 1,31,962 | 10,119 | 1,42,081 | 44,444 | 686 | 45,130 | 21,014.27 | 572.03 | 21,586.29 |
| **TOTAL** | **40,31,766** | **1,38,425** | **41,70,191** | **17,29,923** | **62,893** | **17,92,816** | **40,90,567** | **96,56,823** | **137,47,389.80** |

परिशिष्ट-3

## सामुदायिक वन अधिकार प्रकरणों की प्रगति दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में

| क्र. | जिला | प्राप्त/प्रेषित दावों की संख्या | | अनुमोदित दावे की संख्या | | | वितरण किए गए वन अधिकार पत्र | | | वितरित भूमि (हेक्टेयर में ) | | | निरस्त प्रकरणों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एस.टी. | ओ.टी. एफ.डी. | एस.टी. | ओ.टी. एफ.डी. | योग | एस.टी. | ओ.टी. एफ.डी. | योग | एस.टी. | ओ.टी.एफ. डी. | योग | एस.टी. | ओ.टी. एफ.डी. | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | बस्तर | 2421 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 1890 | 491.159 | 0 | 491.159 | 531 | 0 | 531 |
| 2 | धमतरी | 1198 | 180 | 1198 | 180 | 1378 | 1198 | 180 | 1378 | 98750.556 | 47938.405 | 146688.961 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कोण्डागांव | 3536 | 0 | 1464 | 0 | 1464 | 1317 | 0 | 1317 | 34391.39 | 0 | 34391.390 | 2072 | 0 | 2072 |
| 4 | कोरिया | 1065 | 5 | 1029 | 5 | 1034 | 1029 | 5 | 1034 | 3336.888 | 3.72 | 3340.608 | 36 | 0 | 36 |
| 5 | सूरजपुर | 1279 | 0 | 1258 | 0 | 1258 | 868 | 0 | 868 | 4511.64 | 0 | 4511.6 | 21 | 0 | 21 |
| 6 | कांकेर | 1283 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 | 0 | 779 | 121734.11 | 0 | 121734.110 | 504 | 0 | 504 |
| 7 | राजनांदगांव | 825 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 772 | 45574.613 | 0 | 45574.61 | 53 | 0 | 53 |
| 8 | बीजापुर | 733 | 0 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | 10544.848 | 0 | 10544.848 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | जशपुर | 2626 | 1 | 2416 | 0 | 2416 | 657 | 0 | 657 | 1996.944 | 0 | 1996.944 | 210 | 1 | 211 |
| 10 | रायगढ़ | 1560 | 4 | 1560 | 4 | 1564 | 609 | 4 | 613 | 702.824 | 3.724 | 706.548 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | सुकमा | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 481 | 0 | 481 | 26294.762 | 0 | 26294.76 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | कोरबा | 1738 | 0 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 | 48676.503 | 0 | 48676.503 | 1317 | 0 | 1317 |
| 13 | गरियाबंद | 448 | 17 | 363 | 14 | 377 | 363 | 14 | 377 | 38842.71 | 417.05 | 39259.760 | 85 | 3 | 88 |
| 14 | बिलासपुर | 525 | 25 | 291 | 20 | 311 | 291 | 20 | 311 | 182.376 | 4.652 | 187.028 | 234 | 5 | 239 |
| 15 | मुंगेली | 188 | 142 | 166 | 126 | 292 | 166 | 126 | 292 | 218.112 | 106.281 | 324.393 | 22 | 16 | 38 |
| 16 | सरगुजा | 1327 | 131 | 404 | 29 | 433 | 261 | 29 | 290 | 44217.388 | 4844.366 | 49061.75 | 923 | 102 | 1025 |
| 17 | दंतेवाडा | 913 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 201.5 | 0 | 201.500 | 57 | 0 | 57 |
| 18 | नारायणपुर | 539 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 6648.92 | 0 | 6648.920 | 359 | 0 | 359 |
| 19 | बलौदाबाजार | 177 | 263 | 77 | 89 | 166 | 77 | 89 | 166 | 7341.18 | 3127.22 | 10468.400 | 100 | 174 | 274 |
| 20 | बलरामपुर | 2689 | 5 | 2454 | 4 | 2458 | 158 | 4 | 162 | 2699.538 | 1.433 | 2700.971 | 233 | 2 | 235 |
| 21 | महासमुंद | 0 | 188 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 15989.51 | 15989.51 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | कबीरधाम | 114 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 7550.95 | 0 | 7550.950 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | बालोद | 168 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 60.746 | 0 | 60.75 | 74 | 0 | 74 |
| 24 | जांजगीर-चांपा | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1140.777 | 1140.777 | 0 | 0 | 0 |
| | महायोग | 25871 | 972 | 18376 | 642 | 19018 | 12652 | 642 | 13294 | 504969.657 | 73577.138 | 578546.795 | 6848 | 307 | 7138 |